



2026:AHC-LKO:41475-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5760 वर्ष 2026

रुद्रेश राज सिंह

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता

: दिवाकर प्रसाद शर्मा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.),

न्यायालय कक्ष सं. - 2माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानियामाननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. वर्तमान याचिका दिनांक 07.06.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 110/2026 के रूप में धारा 115(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में पंजीकृत है, को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल की गई है।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु का अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता बी.एन.एस.एस. की धारा 35 में निहित प्रावधानों के लाभ का अधिकारी है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41-क के अनुरूप हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कथित रूप से कारित अपराध/अपराधों के लिए अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड निर्धारित है तथा पुलिस द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 35, जिसमें धारा 35(3) से धारा 35(6) तक के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत विहित रीति, विधि एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, विवेचक यह सुनिश्चित करेगा कि बी.एन.एस.एस. की धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

4. यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की इसी प्रकार की उपबंधित धारा, अर्थात् धारा 41-क, को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** के मामले में निम्नवत् टिप्पणी की है।

5. हमने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के कथन पर विचार किया **अर्नेश कुमार** के मामले (उपर्युक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक अंश) अभिनिर्धारित किया गया है:-

“9. एक अन्य उपबंध, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क, जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी अथवा अभियुक्त पर गिरफ्तारी के आसन्न खतरे से बचाना है, को प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 5, 2009) की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41-क, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है, निम्नवत् है:-

‘41-क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना-

(1) पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में, जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है, अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, अथवा यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष अथवा ऐसी अन्य जगह पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करे।

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति उक्त सूचना का अनुपालन करता है और उसका निरंतर अनुपालन करता रहता है, वहाँ उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है अथवा अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है, वहाँ पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।'

उपर्युक्त उपबंध से यह स्पष्ट होता है कि उन सभी मामलों में, जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को किसी विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करे। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करती है तथा यह भी अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर न पहुँचे कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत परिकल्पित गिरफ्तारी की पूर्ववर्ती अनिवार्य शर्त का अनुपालन किया जाना आवश्यक है तथा ऐसी गिरफ्तारी भी पूर्वोक्त रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. उपर्युक्त तथ्यों तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए उपर्युक्त रुख के आलोक में याचिका का निस्तारण किया जा सकता है, तथा माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार** (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणियों, जिसका प्रासंगिक अंश उपर्युक्त उद्धृत किया जा चुका है, को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस प्राधिकारी मामले में बी.एन.एस.एस. की धारा 35 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्यवाही करेंगे। उक्त धारा में गिरफ्तारी के संबंध में रीति, विधि एवं प्रक्रिया विहित की गई है, जो माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार** (उपर्युक्त) के मामले में स्पष्ट किए गए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क के उपबंधों के अनुरूप है।

दिनांक : 18 जून, 2026

एम.एल./

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।